प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस एवं चाणक्य नेशनल विधि विश्व विद्यालय (CNLU) के बीच अकादमीक विषयों पर शोध, परिचर्चा, प्रशिक्षण, सेमिनार इत्यादि किये जाने हेतु Memorandom of Understanding दिनांक– 26.02.2020 को हस्ताक्षरित किया गया।

दिनांक– 14.09.2020 को Cyber अपराध के अनुसंधान विषय पर एक Webinar आयोजित है। हम सभी अवगत हैं कि अपराध की शैली वास्तविक तथा मौलिक रूप से होती थी, परंतु अब इसमें एक नया आयाम भी जुड़ गया है। सूचना प्राद्योगिकी के युग में हम सभी नागरिक के रूप में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से एक आभासी दुनियॉ में भी विचरण करते हैं। आभासी दुनियॉ में अपराध की शैली अलग है, जिस कारण वास्तविक परंपरागत पुलिस कार्रवाई से उन पर नियंत्रण पाना संभव नहीं है। आभासी दुनिया में अपराध के नियंत्रण के लिए नयी व्यवस्था तथा नये अनुसंधान की प्रक्रिया विश्व भर में अपनायी जा रही है। भारत तथा बिहार राज्य इससे अछूता नहीं है। राज्य में एक Cyber थाना की स्थापना की गयी है तथा हरेक जिला में Cyber Unit की स्थापना की गयी है। आम जनों को आभासी दुनियॉ के अपराध से अवगत कराने के साथ–साथ सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु राज्य भर में Cyber Senani समूहों का गठ्न किया गया है। समय समय पर पुलिस कर्मियों को आभासी दुनियॉ के अपराध शैली एवं अपराध नियंत्रण के लिए जानकारी देकर उनके व्यवसायी कौशल संवर्द्धन हेतु बिहार पुलिस सार्थक प्रयास करती रही है।

इसी कड़ी में यह Webinar राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं चाणक्य नेशनल विधि विश्व विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। इस Webinar में Cyber अपराध अनुसंधान के दो विशेषज्ञ डॉ0 दीशा खैरे, Assistant Professor, गुजरात नेशनल विधि विश्व विद्यालय, गॉधीनगर तथा श्री कुमार गौरव, Assistant Professor,

चाणक्य नेशनल विधि विश्व विद्यालय, पटना अपने व्याख्यान से पुलिस कर्मियों को Cyber अपराध अनुसंधान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे।

इस आयोजन में बिहार के सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उप-महानिरीक्षक, कई पुलिस उपाधीक्षक, कई अनुसंधानकर्ता, आर्थिक अपराध इकाई के कई पदाधिकारी एवं अनुसंधानकर्ता, अपराध अनुसंधान विभाग के कई पदाधिकारी एवं अनुसंधानकर्ता तथा पुलिस मुख्यालय के वरीय पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। ऐसे अकादमीक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए श्री निर्मल कुमार आजाद, अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं डॉ0 कमल किशोर सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना बधाई के पात्र हैं।